कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, वन एव वन्य जीव प्रभाग, उन्नाव।

पत्रांक 971 / 22-4 दिनांक, उन्नाव, सितम्बर, 19 2017.

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–1
लोक निर्माण विभाग उन्नाव।

विषयः– उन्नाव में बिलग्राम–उन्नाव –इलाहाबाद राजमार्ग सं0 38 से चनेज 37.170 से 39.900 के मध्य लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित 3.132 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 197 वृक्षो के पातन की अनुमति।

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव मे नबाबाद ग्रन्ट वन ब्लाक में 6.264 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण 2000 पौध प्रति हे0 की दर से रू0 2952700.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी। जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त आप द्वारा धनराशि अधिक होने तथा इसे कम करने के अनुरोध पर 625 पौध प्रति हे0 की दर रू0 1798850.00 की धनराशि का प्राक्कलन इस कार्यालय की पत्र सं0 3820/14–1 (विल0इला0मार्ग) दिनांक 09–5–2017 द्वारा आपको प्रेषित किया गया, जिसे आप द्वारा कैम्पा कोष में जमा किया गया। विधिवत स्वीकृति जारी कराने हेतु जमा धनराशि का विवरण तथा अन्य आख्या भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा आपत्ति दर्शायी गयी है कि प्रस्ताव में पूर्व में प्रस्तावित 2000 पौध प्रति हे0 की दर से पूर्ण धनराशि जमा करायी जायें।

अतः उपरोक्त के कम में अवशेष धनराशि रू0 11,53850.0 की धनराशि कैम्पा कोष ई–पोटल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

19/09/17

(अखिलेश पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक 971 / उक्तदिनांकित

1. प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी बांगरमऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वनाधिकारी, बॉगरमऊ को प्रेषित कि जब तक याचक विभाग द्वारा अवशेष धनराशि जमा नही की जाती तक तक प्रस्तावित स्थल पर याचक विभाग द्वारा कोई कार्य न करने दिया जाय।

19/09/17

(अखिलेश पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,उन्नाव